संख्या: 978/VII-II-09/50-ख/2008

प्रेषक,

हरिओम,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 26 मई, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु खनन प्रशासन का अधिष्ठान, आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 134/लेखा/आयोजनागत/2009-10 दिनांक 24.4.2009 तथा शासनादेश संख्या: 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हेतु 03-खनन प्रशासन का अधिष्ठान के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु **कुल रुपये 7.33 लाख (रू0 सात लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

कोड/मद का नाम	आवंटित बजट (रू0 हजार में)
04-यात्रा व्यय	150
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	67
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	100
18-प्रकाशन	117
29-अनुरक्षण	67
44-प्रशिक्षण	33
45-अवकाश यात्रा व्यय	33
46-कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तद्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	67
कुल योग:	**733**
	(रू0 सात लाख तैंतीस हजार मात्र)

2- वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा तथा प्रस्तर-128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव)

कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत करा दिया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उक्त धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार अवचनबद्ध मदों में ही स्वीकृत की जा रही है व आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अवचनबद्ध मदों में धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय, तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कढाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गयी धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– अवचनबद्ध मदों में बजट आवंटन की सीमा में ही व्यय को सीमित रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6– व्यय करते समय यथा आवश्यक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

7– उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर अथवा टैण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन0आई0सी0/आई0टी0 विभाग की संस्तुति से अथवा उनके दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

9– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक 2853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, 02–खानों का विनियमन तथा विकास, आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्षक 003 के स्थान पर), 03–खनन प्रशासन का अधिष्ठान–00, मद अन्तर्गत प्रस्तर–1 में उल्लिखित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 74/XXVII(1)/2009 दिनांक 18 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या: 978/VII-II-09/50–ख/2006 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. उप निदेशक/नोडल अधिकारी बजट, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिओम)
संयुक्त सचिव।

NON PALAN 2009-10—14